भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

राष्ट्रीय सचिवालय परिषद

निर्माण भवन,नई दिल्ली

दिनांक:

निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के सचिवालय में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए (जिसे कार्य-निष्पादन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) सांख्यिकी सहायक के पद हेतु आवेदन

पद का नाम	**पद की संख्या**	**अर्हता**	**अनुभव**	
		अनिवार्य	**अनिवार्य**	वांछनिय
सांख्यिकी सहायक	1	सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्रमें से किसी एक में स्नातकोत्तर की डिग्री	सांख्यिकी आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रस्तुतीकरण में 10 वर्ष तक का अनुभव	कंप्यूटर डाटा सॉफ्टवेयर में छः माह का अनुभव ।

आमंत्रित किये जाते हैं:

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर अपने बायोडेटा के साथ अर्हता और अनुभव संबंधी दस्तावेजों की प्रतिलिपियों सहित अपना आवेदन help.ceact2010@nic.in पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in, www.dghs.gov.in या www.clinicalestablishments.gov.in वेबसाइट देखें।

	सांख्यिकी सहायक
निबंधन और शर्तें	**<u>सामान्य विचारार्थ विषय (टीओआर)</u>** 1. सांख्यिकी सहायक की नियुक्ति विशुद्ध रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और वह अपनी नियुक्ति के नियमितीकरण के लिए दावा नहीं करेगा/करेगी। 2. सांख्यिकीय सहायक पर लागू केन्द्रीय सरकार/स्वास्थ्य मंत्रालय के सामान्य प्रशासनिक नियमों से बाध्य होगा तथा वह एक कैलेंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 30 दिन के अवकाश का हकदार होगा और अतिरिक्त अवकाश लेने पर वेतन में कटौती की जाएगी। परामर्शदाता द्वारा हाजिरी लगाई जाएगी। 3. यह नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी जिसमें कार्य का समय प्रात: 9:30 से सांय 6:00 बजे तक होगा । 4. सांख्यिकीय सहायक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन होंगे और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अपर उप महानिदेशक (एके) को रिपोर्ट करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संयुक्त सचिव (चिकित्सा सेवा), राष्ट्रीय परिषद के सचिव या उनके प्रतिनिधि द्वारा भी उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है । 5. सांख्यिकीय सहायक द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 6. कार्य-निष्पादन की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और असंतोषजनक प्रगति होने पर संविदा को समाप्त किया जा सकता है । 7. संविदा को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है । 8. सांख्यिकीय सहायक एक महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है। ऐसा न करने पर एक महीने का वेतन जब्त कर लिया जाएगा । 9. उन्हें प्रति माह 50,000 रुपये के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। 10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा के आधार पर सांख्यिकीय सहायक को दिनांक 2 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-जेड 28015/10/2017-स्था.-II के तहत मौजूदा दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार आधिकारिक बाहरी दौरों के लिए टीए/डीए के हकदार होंगे।

विशेष विचारार्थ विषय (टीओआर)

1. राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित आंकड़ों के संग्रह के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करना।
2. जिले या राज्यों से प्राप्त आंकड़ों की जांच और छानबीन करना ।
3. सांख्यिकीय आंकड़ों की कंप्यूटर प्रविष्टि।
4. जिलेवार/राज्यवार और राष्ट्रीय स्तर पर नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण से संबंधित जानकारी का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या करना।
5. नैदानिक प्रतिष्ठानों से एकत्रित आँकड़ों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या जैसा हो सकता है और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना।
6. सांख्यिकीय सारणियां/विवरण/परिशिष्ट/अनुलग्नक इत्यादि को अंतिम रूप देना और उसी में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना।
7. सांख्यिकीय कार्यों का रिकॉर्ड रखना।
8. सभी सांख्यिकीय मामलों पर तकनीकी इनपुट प्रदान करना।
9. यदि आवश्यक हो, राज्य स्तर के स्टाफ को सांख्यिकीय मामलों में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
10. राज्य/जिला स्तर के कार्यान्वयनकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में अधिकारियों की सहायता करना और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र का दौरा करना।
11. बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों की व्यवस्था करने में सहायता करना।
12. अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य विविध कार्यों को पूरा करना ।
13. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य ।